

HARISH AHUJA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

Bhagwan shoe Lane Near Truck Chouraha N.H.8, BHIM

Rajsamand, Rajasthan - 305921 India Tel: 02951 - 250182 / +91- 94605-74344

h.ahuja.associates@gmail.com

Auditor's Report

To

The President Bhartiya Jan Adhikar Party Bhim Rajsamand

We have audited the attached Balance Sheet of Bhartiya Jan Adhikar Party as at 31st March 2021, and also the income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statement are the responsibility of the Political Party's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on test basis evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Further, we report that

- (i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- (ii) In our opinion, proper books of account have been kept by the Political Party so far as appears from our examination of those books (and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.
- (iii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.
- (iv) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us the said accounts give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

a) In the case of the Balance sheet of the state of affairs of the Political Party as at 31st March 2021.

FRN

b) In the case of the income and Expenditure Account, of the Surplus/Deficit year ended on that date.

For and on behalf of For HARISH AHUJA & COMPANY

Chartered Accountants

(Firm Regn. No. 027482C)

Proprietor

(MRN 159520)

UDIN: 21159520AAAAAV8755

Place : BHIM

Date: 04.08.2021

BHARTIYA JAN ADHIKAR PARTY

Receipt and Payment Account for the year Ending 31st March 2021

Particulars	Amount	Particulars	Amount
To Welfare Exp To General Public Utility Exp To Awaireness To Salaries and Wages To Depreciation	- By G	ross Receipt	10,000.00
To Excess of Income over Expenditure	10,000.00		10,000.00

Income & Expenditure Account as on 31st March 2021

Particulars	Amount	Particulars	Amount
		By Excess of Income over Expenditure	10,000.00
To Excess of Payment over Receipt	10,000.00	By Interest Income	
Total	10,000.00	Total	10,000.00

Balance Sheet as on 31st March 2021

Liabilities	Amount	Amount	Assets	Amount
Corpus Fund Opening Balance Add: Surplus for the year	10000	10,000.00	<u>Cash and Bank Balance</u> Cash Balance Bank Balace	10,000.00
Total		10,000.00	Total	10,000.00

As per our separate audit report of even date attached

For HARISH AHUJA & COMPANY

Chartered Accountants

(FRN 027482C)

HARISH AHUJA) PROPRIETOR

M. No. 159520

FOR BHARTIYA JAN ADHIKAR PARTY

G. WELL WWW

भंबरलाल

राष्ट्रीय महासमित्र

भारतीय जन अधिकार पार्टी

राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य कार्यालय अस्पताल रोड्, मीम, राजसमृन्द (रोड)

मुख्य कार्यालय अस्पताल रोड्, भीम, राजसमन्द (राज.)

भुस्य कार्यालय अस्पताल रोड्, भीम, राजसमन्द (राज.)

भारतीय जन अधिकार पार्टी

UDIN: 21159520AAAAAV8755

Place: BHIM Dated: 04.08.2021

President

BHARTIYA JAN ADHIKAR PARTY

HOSPITAL ROAD, VILLAGE - BHIM, RAJSAMAND. (Raj.)

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. ACCOUNTING POLICIES:-

- A. The books of Account of the school are maintained on mercantile & going concern basis.
- B. Depreciation on Fixed assets is has not been provided in the books of accounts.

2. NOTES TO ACCOUNTS-

- A. Balances of various parties, cash and verification of Fixed Assets are subject to confirmation & verification of Management.
- B. The party is run and managed by Bhartiya Jan Adhikar Party and all the expenses incurred by the unit under the authority of President, have been duly verified and confirmed by the said Party.

FOR BHARTIYA JAN ADHIKAR PARTY

For HARISH AHUJA & COMPANY

(CA. HARISH

Chartered Accountants

President

Secretary

TUMM \

घनस्यामसिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष

दे अपर लाम

शास्तीय जन अधिकार पार्टी

Proprietor

(FRN: 027482C

भारतीय जन अधिकार पार्टी

भंवरलाल_{प्रय कार्यालय} आयताल रोइ. भीम, राजसमन्द (राज.) राष्ट्रीय महासचिव

Treasurer

M. No. 159520

मुख्य कार्यालय अस्पताल रोड्, भीम, राजसमन्द (राजनीय जन अधिकार पार्टी

मुख्य कार्यालय अस्पताल रोड्, भीम, राजसमन्द (राज.)

UDEN: 21159520AAAAA V8755

Place: Bhim

Date: 04.08.2021

स्पीड पोस्ट द्वारा निर्वाचन सदन NIRVACHAN SADAN अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001 ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110 001

दिनांकः 18 अगस्त 2020

फा0 सं0- 56/203/2019/पीपीएस-1 / ि () सेवा में,

अध्यक्ष,

भारतीय जन अधिकार पार्टी, गाँव-भीम, हॉस्पिटल रोड, पोस्ट ऑफिस-भीम, जिला-राजसमन्द राजस्थान- 305921

विषयः **"भारतीय जन अधिकार पार्टी"-** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण के संबंध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने "भारतीय जन अधिकार पार्टी" का राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण करने के लिए आपके दिनांक 04.07.2020 के आवेदन और उक्त आवेदन-पत्र में विवरण/प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में दिनांक 11.07.2019 को दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा यह ध्यान में रख कर कि समाचार पत्रों में आवेदक द्वारा प्रकाशित पब्लिक नोटिस के जवाब में उक्त नाम से पार्टी के पंजीकरण पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपित दर्ज नहीं की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन "भारतीय जन अधिकार पार्टी" को दिनांक 04.08.2020 से राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है।

- 2. आपके दल की पंजीकरण संख्या 56/203/2019-20/रा0द0अनु0-1 है।
- 3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा। इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी:-
 - (i) दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।
 - (ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।
 - (iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थिति रजिस्टर का उद्धरण (extract)जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

Tel: 011-23052205-18, Fax: 011-23052223-25, Website: www.eci.gov.in

"मजबूत लोकतंत्र - सबकी भागीदारी"
"Greater Participation for a Stronger Democracy"

- 4. यह भी उल्लेखनीय है कि यह पंजीकरण दल को किसी अन्य चिन्ह को आरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 12 के अधीन निर्वाचन में दल द्वारा विधिवत रूप से खड़े किए गये अभ्यर्थी, मुक्त प्रतीकों के आवंटन में निर्दलीय अभ्यर्थियों के उपर वरीयता का लाभ पाने के पात्र होंगे। तथापि, प्रतीक आदेश के पैरा 10 ख के प्रावधानों के अधीन लोक सभा या राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 5% सीटों से चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गये अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि पार्टी उक्त पैरा 10 ख में उल्लिखित प्रत्येक शर्त को पूरा करती हो।
- 5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख और 29ग के प्रावधानों के अन्तर्गत (राजनैतिक दलों को अंशदान से संबंधित), दल को एक वितीय वर्ष में रू0 20,000/- से अधिक प्राप्त संदान/अंशदान के बारे में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्रारुप 24क में एक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी रिपोर्ट में दल की स्थायी खाता संख्या (PAN) का विवरण देना होता है। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने दल का स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त कर आयोग को उसका विवरण दल के पंजीकरण से छः माह के भीतर सूचित कर दें।
- 6. यह भी सूचित किया जाता है कि किसी राजनैतिक दल का पंजीकरण करते समय आयोग राजनैतिक दलों के ध्वजों को अनुमोदित नहीं करता है और यदि दल का अपना ध्वज है तो यह उस दल की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 या भारत के फ्लैंग कोड अथवा इस विषय से संबंधित अन्य किसी सुसंगत विधि के उपबंधों का उल्लंघन न करे और यह भी कि उसका ध्वज किसी अन्य राजनैतिक दल के ध्वज का किसी भी प्रकार से अनुकरण न करे।

भवदीय,

(दिलीप के. वर्मा)

सचिव

फा0 सं0- 56/203/2019/पीपीएस-1 प्रतिलिपि:-

दिनाकः 18 अगस्त 2020

- म्ख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयप्र।
- 2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, द्वितीय तल, डेवलेपमेन्ट ब्लॉक, सचिवालय, जयपुर-302005
- 3. राजनीतिक दल अनुभाग-॥।
- गार्ड फाईल।

दिलीप के. वर्मा)

मिनित